न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 14/2025 (75 एल.आर.एक्ट.)

उनवान

1. मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री तिनुकी उम्र करीब 72 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम अलहपुरा धौलपुर जिला धौलपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

2. सरकार जरिए तहसीलदार धौलपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री यतीन्द्र त्यागी अभिभाषक अपीलार्थी।
2. राजकीय पेरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

::: निर्णय :::

दिनांकः–04.06.2025

यह अपील न्यायालय तहसीलदार धौलपुर के मुकदमा नं0 189/2024 उनवानी सरकार बनाम मोहन निर्णय दिनांक 24.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी पटवार हल्का अलहपुरा द्वारा तहसीलदार धौलपुर को इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि मोहन पुत्र तिनुकी जाति जाटव नि. अलहपुरा द्वारा राजस्व ग्राम अलहपुरा में संवत् 2081 खसरा नं0 645/239 रकवा 0.5058 है0 मे से 0.0379 है0 किस्म बंजड़ जिन्स मकान व वाउण्ड्री वाल बनाकर अतिक्रमण किया है, कानूनी कार्यवाही की जावें । न्यायालय तहसीलदार धौलपुर नें गैरसायल के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए में मु0नं0 04/24 उनवान सरकार बनाम श्रीमती गुड्डी दर्ज किया जाकर, वर्णित धारा 90(क)(5) सपठित धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किए गए। साथ ही लगान 0.19 की 50 गुना सास्ती 10/– से दण्डित किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24.09.2024 द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी बताकर एक पक्षीय रूप से अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट को आराजी खसरा नम्बर 645/239 रकवा 0.0379 है0 किस्म सिवायचक में श्री मोहन पुत्र तिनुकी जाति जाटव निवासी ग्रम अलहपुरा को तुरन्त प्रभाव से बेदखल किया जाता है। लगान 0.30 का 50 गुना पैनल्टी राशि 15रु. से दण्डित किया है ।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

आगे कथन अंकन किए कि न्यायालय तहसीलदार धौलपुर द्वारा बिना सुनवाई के नोटिस दिया जाकर विवादित आराजीयात पर बिना अतिक्रमण के ही ,पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जॉच किए जो रिपोर्ट की है वह विधि विरूद्ध है अपास्त योग्य है तथा प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 24.09.2024 को अपास्त किया जावे ।

अपीलार्थी की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के स्वामित्व व आधिपत्य का एक किता मकान जायदाद बांकेग्राम अलहपुरा धौलपुर में स्थित है। जिसकी पूर्वी भुजा 69 फुट 6 इंच व पश्चिमी भुजा 69 भुट 7 इंच, उत्तरी भुजा 99 फुट 2इंच व दक्षिणी भुजा 98 फुट 8 इंच हैं। जिसमें 6 कमरे, रसोई, टीनशैड,छप्पर, पशुओ का बाड़ा, पशुओ के खनौटें, चबूतरा, कृषि कनेक्शन, पानी की टंकी एवं चबूतरा आदि बने हुए है। जिसकी चतुर्थ सीमाए इस प्रकार हैं, जिसके पूर्व मे पोखर,पश्चिमी खेत तेज सिंह, उत्तर में खेत मानसिंह व दक्षिण में खेत विनोद व आम रास्ता स्थित है। सायल का मकान करीब 40–45 साल पुरान बना है।जिसे सायल उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश आराजी खसरा नं. 645/239 रकवा 0.5058 में 0.0379 है0 पर अपीलान्ट ने मकान व बाउन्ड्री बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 20.09.2024 को सुनवाई के लिए तारीख निश्चित की गई। निहित दिनांक को प्रार्थी अनुपस्थित होने के कारण रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन के आधार पर अपीलान्ट को तुरन्त प्रभाव से बेदखल किया जाता है। लगान 0.30 का 50 गुना पैनल्टी राशि 15 रू. आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बार–बार धमकी देने पर प्रार्थी ने उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 28.02.2025 को नकल मिलने पर, उक्त आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व दिनांक 20.02.20225 से प्रार्थीाको उक्त आदेश की कोई जानकारी नही थी। अतः श्रीमान जी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दुहराया जाकर प्रार्थना स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया एवं प्रार्थी विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मौखिक बहस की गई।

प्रार्थी विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी के विधिवत नोटिस तामील नहीं हुए है, अपीलांट

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

को सुनवाई का मौका नही दिया गया है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने एक तरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

अपीलार्थी को बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित किया है जो निरस्त किया जाना आवश्यक है।

हमारे द्वारा बहस विद्वान अभिभाषकगण अपीलार्थी व पैरोकार सरकार के तर्कों पर मनन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत माहदत की पत्रावली में अंकित की गई रिपोर्ट तामील के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है तथा किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने के सबंध में तामील रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त हस्ताक्षर अपीलार्थी के किसी परिवारजन के है एवं माननीय राजस्व मंण्डल अजमेर के परिपत्रः अधि.सं.प. 8/राम/न्याय/विधिक/85/5403–29 दिनांक 17.02.1985 में दिये गये निर्देशो की तामील में उचित पालना नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। बहस सुनी गई।

भू –राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैः–

भूमि पर अनाधिकृत कब्जा।

(1)कोई भी व्यक्ति जो विधि सम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और उसे तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या बनाया गया कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जैसा वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलेक्टर निर्देश दे परन्तु तहसीलदार किसी ऐसे भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने के आदेश देने के बदले में उसके सम्पूर्ण भाग या उसके किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकेगा।

(2)ऐसा अतिचारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए, जिसके दौरान वह पूरी भूमि या उसके किसी भाग पर ऐसे अनाधिकृत कब्जे में रहा है, जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अतिचार के प्रथम कृत्य के लिए, वार्षिक किराए या मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, के पचास गुना तक हो सकता है। अतिचार के प्रत्येक बाद के कृत्य के मामले में, वह तहसीलदार के आदेश से, तीन महीने तक की अवधि के लिए सिविल जेल में जाने और पूर्वोक्त सीमा तक जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे जुर्माने की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

(3)जहां उपधारा (2) के अधीन सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश दिया गया अतिचारी उस तहसीलदार को, जिसके द्वारा उसे सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश दिया गया है, यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करने का आशय रखता है, वहां तहसीलदार आदेश देगा कि ऐसे अतिचारी को उसके स्वयं के बंधपत्र पर, ऐसी अवधि के लिए रिहा कर दिया जाए, जितनी अवधि के लिए उसे अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और ऐसा आदेश, जब तक वह बंधपत्र पर इस प्रकार रिहा रहता है, निलंबित समझा जाएगा।

(3–क) उपधारा (2) के अधीन बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व, तहसीलदार, विहित रीति से, उस व्यक्ति पर, जिसके बारे में रिपोर्ट की गई है कि वह विधिसम्मत प्राधिकार के बिना भूमि पर कब्जा कर रहा है या कब्जा जारी रखे हुए है, एक नोटिस तामील कराएगा जिसमें ऐसी भूमि को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसे एक निश्चित तारीख तक या तो ऐसी भूमि खाली करने के लिए कहा जाएगा या उपस्थित होकर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उसे वहां से क्यों न बेदखल कर दिया जाए।

(4)निम्नलिखित में से किसी भी मामले में, अर्थात् –

(1)जहां अतिचारी न तो भूमि खाली करता है और न ही उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में उपस्थित होता है, या

(2)जहां ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में अतिचारी भूमि खाली नहीं करता है और उपस्थित होता है, किन्तु –(क)ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाता है, या

(ख)कोई अभ्यावेदन करता है जिसे मामले की परिस्थितियों में आवश्यक जांच और सुनवाई के पश्चात् अस्वीकृत कर दिया जाता है, वहां तहसीलदार, जब तक कि खंड (ii) के अंतर्गत आने वाले मामले में अतिचारी एक सप्ताह के भीतर भूमि खाली करने का वचन नहीं देता है और ऐसी समयावधि के भीतर उसे खाली नहीं कर देता है, अतिचारी को ऐसी भूमि से हटाने का आदेश देगा और उसे वहां से हटाएगा या हटाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करेगा और उस पर कब्जा लेगा; और यदि तहसीलदार या इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति का ऐसी भूमि पर कब्जा लेने में विरोध किया जाता है या उसे फंसाया जाता है, तो तहसीलदार अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट भूमि को तहसीलदार के अधीन समर्पित करने के लिए बाध्य करेगा।

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)पूर्वगामी उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसी कोई भूमि धारा 97 के परन्तुक के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणी की है, तो तहसीलदार उसे उप–विभागीय अधिकारी के अनुमोदन से अतिचारी को बेच सकेगा, बशर्ते कि वह उसके लिए धारा 96 के अधीन नियत दर पर प्रीमियम का भुगतान कर दे और जो ऐसी भूमि पर लागू हो, तथा इसके अतिरिक्त उप–धारा (2) के अधीन उससे अवैध कब्जे की सम्पूर्ण अवधि के लिए वसूलनीय मूल्यांकन और शास्ति भी हो।

(6)उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, –

(क)जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने से पूर्व ऐसी भूमि पर कब्जा कर चुका है, और तहसीलदार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित नोटिस दिए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसा कब्जा हटाने में असफल रहता है, तो उसे दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, तथा जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा; तथा

(ख)जो कोई, राज्य सरकार का नियोजक होते हुए, जिसे कलेक्टर के लिखित आदेश द्वारा इस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध को रोकने या निवारण करने का कर्तव्य विनिर्दिष्ट रूप से सौंपा गया है, ऐसे अपराध को रोकने या निवारण करने में जानबूझकर या जानबूझकर उपेक्षा करेगा या लोप करेगा, वह दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा परंतु, खंड (क) के अधीन अपराध के मामले में, न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किसी पर्याप्त या विशेष कारण से एक मास से कम अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा परंतु यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा (क) के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना खंड (ख) के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "भूमि" से तात्पर्य है – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) में परिभाषित चरागाह भूमि; तथा(ii)धारा 103 के खंड (क) के उपखंड (iii) और (iv) में परिभाषित भूमि, जिसमें सार्वजनिक कुआं, नाडी, जोहड़ और तालाब से संलग्न भूमि शामिल है।

अदालत मातहत की पत्रावली से जाहिर है कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी की तामील भू –राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 60 के प्रावधानों के अनुसार नहीं करवाई गई है । तामील नोटिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है तथा किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने के सबंध में तामील रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त हस्ताक्षर अपीलार्थी के किसी परिवारजन के है। इससे यह सावित है कि रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया ।

अदालत मातहत को चाहिए कि वे अपीलार्थी की तामील विधि प्रकिया अनुसार पूर्ण कराकर तथा अपीलार्थी को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। इस कारण निर्णय अपास्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत तहसीलदार धौलपुर के निर्णय प्रकरण संख्या 189/24 उनवान सरकार बनाम मोहन निर्णय दिनांक 24.09.2024 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत तामील करवाते हुये विधिवत सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर नए सिरे से निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(हरि राम मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
धौलपुर
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)